

दिनांक 31.01.2025 को मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:- संलग्न सूची के अनुसार।

दिनांक 31.01.2025 को अध्यक्षता की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत अपरान्ह 03.00 बजे पर मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय विकास भवन, औरैया में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहुत की गयी। समिति के सदस्य सचिव/अधिशाली अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद औरैया में लक्षित 217903 के सापेक्ष 205859 गृह संयोजन (94.47 प्रतिशत) उपलब्ध कराये गये हैं। बैठक में निम्न बिंदुओं पर समीक्षा की गयी।

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 1

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा।

जनपद औरैया में JJM फेज-2 एवं 3 के कार्यों को कराये जाने हेतु तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित एजेंसी मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0 एवं मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 को क्रमशः 151 एवं 574 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं। अधिशाली अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया, कि अद्यतन तक मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0 द्वारा स्वीकृत 97 परियोजनाओं के सापेक्ष 97 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 151 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसमें 49 पेयजल योजनाओं (75 राजस्व ग्राम) का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं 67 पेयजल योजनाओं के माध्यम से 104 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल की उपलब्धता उपलब्ध की जा रही है। इसके अतिरिक्त 13 पेयजल योजनाओं (सम्मिलित 21 राजस्व ग्राम) का ट्रायल रन कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा 85 शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 12 शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 751.00 किमी की वितरण प्रणाली बिछाने के साथ-साथ लक्षित 41137 गृह संयोजनों के सापेक्ष 39665 गृह संयोजन उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 द्वारा 278 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 574 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसमें 65 पेयजल योजनाओं (149 राजस्व ग्राम) का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं 159 पेयजल योजनाओं के माध्यम से 311 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल की उपलब्धता करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त 66 पेयजल योजनाओं (सम्मिलित 141 राजस्व ग्रामों) का ट्रायल रन कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा 123 शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 140 शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2841.00 किमी वितरण प्रणाली बिछाने के साथ-साथ लक्षित 139905 गृह संयोजन के सापेक्ष 129333 गृह संयोजन उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। -

वर्तमान में द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0 एवं मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 द्वारा शत-प्रतिशत हर घर जल घोषित क्रमशः 109 एवं 179 राजस्व ग्रामों-के सापेक्ष 59 एवं 126 राजस्व ग्रामों को हर घर जल से प्रमाणित किया गया है। जिसपर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये

गये, कि जल जीवन सर्वेक्षण के अन्तर्गत हर घर जल प्रमाणीकरण की संख्या कम होने के कारण दोनो निर्माण एजेंसी जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया से समन्वय स्थापित कर ग्रामों के प्रमाणीकरण का लक्ष्य पूर्ण किया जाये। जिसकी समीक्षा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रत्येक सप्ताह कर-प्रमाणीकरण सम्बन्धित विवरण अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करायें। तत्पश्चात् परियोजनाओं को उ०प्र० सरकार द्वारा निर्गत नियमानुसार एवं उ०प्र० पंचायतीराज निदेशालय के हैंड ओवर एवं टेक ओवर पोर्टल (www.rwsp.upprd.in) पर हस्तगत कराने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० द्वारा निर्माण कार्यों में धीमी गति होने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने निर्देश दिये कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) प्रत्येक पेयजल के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर उचित कार्यवाही करें। साथ ही फेज-2 एवं फेज-3 की निर्माण एजेंसियों से निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के शेष कार्यों के पर्ट चार्ट तीन दिवस में उपलब्ध कराने तत्पश्चात् पर्ट चार्ट के अनुसार ससमय पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

समिति को अवगत कराया गया कि मै० द० इण्डियन ह्यूम पाइप क० लि० द्वारा फेज-2 का कार्य दिनांक 15.09.2021 एवं मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० द्वारा फेज-3 का कार्य दिनांक 26.09.2022 को प्रारम्भ किया गया था। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि दोनों निर्माण एजेंसियों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभों का विवरण एक सप्ताह में प्रेषित करें। तत्पश्चात् प्रेषित शुद्ध लाभों के औसत का दो प्रतिशत सी०एस०आर० गतिविधियों पर खर्च करने हेतु बैठक में उपस्थित निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि अपने-अपने प्रबन्ध निदेशक से वार्ता कर समिति द्वारा निर्णय लिये गये जनहित व पेयजल सम्बन्धि कार्यों पर सी०एस०आर० निधि खर्च करते हुये पूर्ण करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
मै० द० इण्डियन ह्यूम पाइप क० लि०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०)

एजेण्डा बिंदु संख्या:-2

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्रामों में बिछायी गयी पाइप लाइन हेतु काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि फेज-2 एवं 3 में दोनों निर्माण एजेंसियों द्वारा जनपद में अद्यतन तक 1393.93 किमी० सड़कों को पाइप लाइन बिछाने हेतु काटा गया था। जिसके सापेक्ष 1362.91 किमी० सड़कों की पुनर्स्थापना की जा चुकी है, शेष 31.02 किमी० सड़क की पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया, कि शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पुनर्स्थापित सड़कों का ग्रामवार निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
मै० द० इण्डियन ह्यूम पाइप क० लि०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०)

एजेण्डा बिंदु संख्या:-3

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के प्रमाणीकरण एवं उ०प्र० पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर हस्तगत के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जनपद में 325 हर घर जल रिपोर्टेड राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 229 राजस्व ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया है। जिसमें फेज-2 एवं फेज-3 के क्रमशः 59 एवं 126 राजस्व

- ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया है। फेज-2 में नल्हपुर पेयजल योजना, सरायखाती पेयजल योजना एवं ठाकुरगांव पेयजल योजना तथा फेज-3 में भूरेपुर कला व जगनपुर पेयजल योजना एवं पचदेवरा पेयजल योजना के हस्तगत की प्रक्रिया उ0प्र0 पंचायतीराज निदेशालय के हैंड ओवर/टेक ओवर पोर्टल (www.rwsp.upprd.in) की जा रही है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी ने निर्देशित किया, कि जनपद में अन्य पूर्ण पेयजल योजनाओं को भी उक्त पोर्टल पर हस्तगत करने हेतु कार्यवाही/प्रक्रिया को ससमय पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0)

एजेण्डा बिंदु संख्या:-4

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित ISA & IEC संस्थाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा-

01 आई.एस.ए.-अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जनपद-औरैया में आई0एस0ए0 कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं0- 2405/W-314/JJM-ISA/2020-21, दिनांक- 25, जनवरी 2021 द्वारा "A" कैटेगरी की कुल 02 आई0एस0ए0 संस्थाओं (KRASHI EVAM SHAIKSHIK PRABANDH SANSTHAN, LUCKNOW & OXFORD SHIKSHA PRASAR SANSTHAN, KANNAUJ) को नामित किया गया है। उक्त के अनुपालन में विकास खण्ड- औरैया, अजीतमल एवं भाग्यनगर में ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान को कलस्टर संख्या 01, 02, 03, 04, 11 एवं 12 के माध्यम से 236 ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड- बिधूना, सहार, अछल्दा व एरवाकटरा में कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान को कलस्टर संख्या 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10 कलस्टर के माध्यम से 241 ग्राम पंचायत आवंटित किये गये थे।

संस्थाओं को विकास खण्डवार कलस्टर आवंटन

क्र0 सं0	संस्था का नाम	कलस्टर सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत- की सं0	राजस्व ग्राम की सं0
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	01	औरैया	40	62
		02	औरैया	30	53
		03	अजीतमल	43	69
		04	भाग्यनगर	51	97
		11	अजीतमल	25	35
			भाग्यनगर	22	31
		12	औरैया	25	32
2	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	05	बिधूना	42	66
		06	अछल्दा	35	61
			एरवाकटरा	09	11
		07	सहार	31	49
		08	एरवाकटरा	37	75
		09	सहार	34	45
		10	अछल्दा	26	45
			बिधूना	27	38
	कुल			477	769

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत दोनों सूचीबद्ध संस्थाओं को तीन चरणों में आई0एस0ए0 गतिविधियां पूर्ण की जानी हैं। जिसमें प्रथम चरण- "नियोजन एवं लोगों को संगठित करना" जो तीन माह अवधि, द्वितीय चरण- "क्रियान्वयन चरण" जो छः माह अवधि तथा तृतीय चरण- "पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज" जो तीन माह अवधि का है।

अद्यतन तक ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान द्वारा कलस्टर 01, 02, 03, 04, 11, 12 के प्रथम चरण एवं कलस्टर 01, 02, 03, 04 के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा कलस्टर 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10 के प्रथम चरण एवं 05, 06, 07 के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। पूर्व में ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान द्वारा की गयी आई0एस0ए0 गतिविधियों के कलस्टर 01, 02, 03, 04 एवं कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा की गयी आई0एस0ए0 गतिविधियों के कलस्टर 05, 06, 07 के प्रथम चरण जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। आईएसए संस्था ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान तथा कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रथम चरण के पूर्ण की गयी गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है-

प्रथम चरण- नियोजन एवं लोगों को संगठित करना (03 माह)

क्र० सं०	महत्वपूर्ण बिन्दु	क्रियाकलाप	कार्य की स्थिति	
			ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान
1	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं बैंक में खाता खोलना	1. ग्राम सभा की बैठक का आयोजन 2. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं क्रियाशीलता, प्रशिक्षण प्रदान करना। 3. बैंक खाता खुलवाना	पूर्ण	पूर्ण
2	बेस लाइन डाटा सत्यापन करना व सत्यापित आख्या का ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापन करवा कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित करवा।	1. बेस लाइन डाटा का सत्यापन करना। 2. उपलब्ध FHTC का सर्वेक्षण करना। 3. WSP(वाटर सिक्योरिटी प्लान) के लिये सर्वे कर डाटा एकत्रित करना।	पूर्ण	पूर्ण
3	PWS निर्माण एवं संचालन एवं देखरेख हेतु सहमति लेना।	1. विभिन्न संस्थानों के लोगो VWSC सदस्यों व परिवारों के मुखिया के साथ बड़ी बैठक का आयोजन कर कम से कम 80% ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना। 2. PWS, CAPEX में सामुदायिक अंशदान, मासिक उपभोग चार्ज भुगतान संचालन एवं देखरेख हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना।	पूर्ण	पूर्ण
4	सामुदायिक अंशदान	1. सभी परिवारों से व्यक्तिगत मिश्रकर योजना की जानकारी देना। 2. मासिक महिला बैठक 3. मासिक महिला पुरुष संयुक्त बैठक 4. प्रभात फेरी व हैण्डवॉश गतिविधि (विद्यालय एवं राजस्व ग्राम स्तर पर) 5. कुल एकत्रीकरण का कम से कम 30% सामुदायिक अंशदान	पूर्ण अपूर्ण	पूर्ण अपूर्ण
5	ग्राम कार्ययोजना का अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन कराना	1. सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन से सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन	पूर्ण	पूर्ण

		2. जल स्रोतों की गुणवत्ता स्तर जानना व जल नमूना एकत्र कर जाँच परिणाम प्राप्त करना। 3. जल प्रबन्धन योजना बनाने हेतु समुदाय को सहयोग करना। 4. समुदाय के सहयोग से VAP निर्माण एवं 80 प्रतिशत समुदाय की सहमति से अनुमोदन कराना।		
6	PWS के लिये कुशल मानव शक्ति की व्यवस्था कराना।	1. कुशल मानव शक्ति का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करते हुये प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित करवाना व DWSM को प्रेषित करना।	पूर्ण	पूर्ण
7	अनुबन्ध को हस्ताक्षरित कराना	1. GPWSC व ठेकेदार के बीच Tripartty Agreement हस्ताक्षरित कराना।	पूर्ण	पूर्ण

आईएसए संस्थाओं ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान तथा कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा द्वितीय चरण से पूर्ण की गयी गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है-

द्वितीय चरण- कियान्वयन चरण (06 माह)

क्र० सं०	महत्वपूर्ण बिन्दु	क्रियाकलाप	कार्य की स्थिति	
			ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान
1	शिकायत निवारण प्रणाली	1. दीवार लेखन हेतु 2-3 स्थल की पहचान। 2. शिकायतों की समीक्षा हेतु मासिक बैठक।	पूर्ण	पूर्ण
2	समुदायिक अंशदान	1. प्रत्येक ग्राम के कम से कम 10 लोगों की एक बड़ी बैठक। 2. व्यक्तिगत जन संचार। 3. मासिक महिला बैठक। 4. मासिक महिला-पुरुष संयुक्त बैठक। 5. मासिक प्रभात फेरी एवं हैंड वाश। 6. गृह संयोजन की सूची (80 प्रतिशत)। 7. कुल एकत्रीकरण का कम से कम 75 प्रतिशत सामूहिक अंशदान	पूर्ण	पूर्ण
3	गुणवत्ता आश्वासन	1. मासिक पानी समिति/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति बैठक के उपरान्त पेयजल योजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता।	अपूर्ण	अपूर्ण
4	हाउस होल्ड टाइप गृह संयोजन	1. व्यक्तिगत जन संचार 2. गृह संयोजन की सूची (100 प्रतिशत)।	पूर्ण	पूर्ण
5	वित्तीय प्रबन्धन एवं रखरखाव	1. पानी समिति/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों का वित्तीय प्रबन्धन, रखरखाव एवं दायित्वों का प्रशिक्षण। 2. पानी समिति/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के वित्तीय प्रबन्धन एवं उपनियम हेतु ग्राम पंचायत की बैठक।	पूर्ण	पूर्ण

ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान द्वारा कलस्टर 11, 12 के प्रथम चरण एवं कलस्टर 01, 03, 04 के द्वितीय चरण तथा कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान द्वारा कलस्टर 08, 10 के प्रथम चरण एवं कलस्टर 05, 06, 07 के द्वितीय चरण की आई0एस0ए0 गतिविधियों को पूर्ण कर उक्त गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिसका परीक्षण जनपद में कार्यरत डी0पी0एम0यू0 द्वारा कराते हुये उक्त कलस्टर के देयक खण्ड कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं, साथ ही संस्थाओं द्वारा जल

जीवन मिशन के पोर्टल jjm.up.gov.in पर अनुमोदन हेतु अपलोड किये जा चुके हैं। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	आईएसए संस्था का नाम	कलस्टर संख्या	आवंटित ग्राम पंचायत	चरण	कलस्टर की कुल धनराशि (रु० में)	भुगतान की धनराशि (रु० में)
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान	11	47	प्रथम चरण	6462500.00	2003375.00
2	ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान	01	40	द्वितीय चरण	5500000.00	1870000.00
3	ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान	02	30	द्वितीय चरण	4125000.00	1402500.00
4	ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान	03	43	द्वितीय चरण	5912500.00	2010250.00
5	ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान	04	51	द्वितीय चरण	7012500.00	2337000.00
योग (क)					29012500.00	9623125.00
6	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	08	37	प्रथम चरण	5087500.00	1577125.00
7	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	10	53	प्रथम चरण	7287500.00	2259125.00
8	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	05	42	द्वितीय चरण	5775000.00	1810875.00
9	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	06	44	द्वितीय चरण	6050000.00	1886500.00
10	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	07	31	द्वितीय चरण	4262500.00	1353000.00
योग (ख)					28462500.00	8886625.00
योग (क+ख)					57475000.00	18509750.00

उक्त देयकों का सत्यापन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से होने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जानी है। सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों को सम्बन्धित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को परीक्षण हेतु ऑक्सफोर्ड शिक्षा एवं प्रसार संस्थान के रु० 9623125.00 एवं कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान के रु० 8886625.00 भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), डीपीएमयू, औरैया,
मै० ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मै० कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्धन संस्थान)

02- आई०ई०सी० संस्थाएँ:-

मै० अम्बर प्रेस प्रा०लि०, लखनऊ-अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 3669/डब्ल्यू-314/जेजेएम-एजेसी इम्पेनलमेंट/2022-23 दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से जनपद औरैया को प्रति राजस्व ग्राम रु० 10158.00 के दर से 769 राजस्व ग्रामों हेतु रु० 7811502.00 (जीएसटी रहित) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके कम में फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन, जनजनित बीमारियों से बचाव एवं जन जागरूकता जैसी गतिविधियों को-पूर्ण करने हेतु कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, औरैया के पत्र संख्या 333/डब्ल्यू-27/90 दिनांक 04.03.2024 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सूचीबद्ध आई.ई.सी. संस्थाओं में से मै० अम्बर प्रेस प्रा०लि०, लखनऊ को नामित किया गया। संस्था को आवंटित गतिविधियों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	गतिविधि	कार्य की स्थिति
1	जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों में 05 पेयजल स्रोतों की जांच हेतु जागरूकता तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं एफ.टी.के. किट की उपलब्धता प्रति राजस्व ग्राम विभागीय स्टोर से प्राप्त कर सुनिश्चित कराना।	पूर्ण
2	जनपद की समस्त राजस्व ग्रामों में 5X6आकार में प्रमुख स्थान पर दो स्लोगन वॉल राइटिंग का कार्य।	पूर्ण
3	IECसामग्री की आपूर्ति, समस्त राजस्व ग्रामों में जनजागरूकता तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामवासियों के मध्य व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी IECसामग्री का वितरण।	पूर्ण

उक्त गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसका परीक्षण जनपद में कार्यरत डी0पी0एम0यू0 द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में संस्था द्वारा पूर्ण की गयी गतिविधियों के सापेक्ष बीजक प्रेषित करना लम्बित है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
डी.पी.एम.यू., औरैया, मै0 अम्बर प्रेस, लखनऊ)

एजेण्डा बिंदु संख्या:-5

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

जनपद में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता हेतु मै0 बी0एल0जी0 प्रा0लि0 को थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) एवं मै0 मेधज टैक्नो प्रा0लि0 को जिला कार्यक्रम अनुश्रवण-इकाई (DPMU) को चयनित किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया, किजल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन करें।

(कार्यवाही टी0पी0आई0 वडी0पी0एम0यू0, औरैया)

अधिशासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
औरैया

मुख्य विकास अधिकारी/
सदस्य
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक 538/ W-27 / 79 दिनांक: 7-2-2025
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, औरैया (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
3. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)।
7. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
8. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)

9. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)
10. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), औरैया (सदस्य सचिव)
11. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि०) हाउस नं० 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
12. मै० जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि०, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।
13. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, औरैया।
14. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं० सर्विसेज प्रा०लि०, औरैया।
15. मै० ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मुहल्ला तिवारियान, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।
16. मै० कृषि एवं शैक्षिक प्रबंधन संस्थान एल-3, एच.आई.जी. कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।
17. मै० अम्बर प्रेस प्रा०लि०, लखनऊ।

/ -
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

9. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)
10. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), औरैया (सदस्य सचिव)
11. द इण्डियन इयूम पाइप कम्पनी (लि०) हाउस नं० 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
12. मै० जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि०, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।
13. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, औरैया।
14. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं० सर्विसेज प्रा०लि०, औरैया।
15. मै० ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मुहल्ला तिवारियान, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।
16. मै० कृषि एवं शैक्षिक प्रबंधन संस्थान एल-3, एच.आई.जी. कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।
17. मै० अम्बर प्रेस प्रा०लि०, लखनऊ।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया